



# राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

नाम निर्देशन प्रपत्र – 1  
(Nomination)

(सभी के लिए)

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)  
राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड,  
4, मीरा मार्ग, उदयपुर।

प्रमुख एवं प्रभारी  
पता :— .....  
.....

मैं, ..... कर्मचारी संख्या ..... पदनाम .....  
मेरे वेतन/पेंशन/अन्य सभी प्रकार के बकाया का संदाय (नाम निर्देशन) नीचे नामित व्यक्ति को इसके द्वारा नाम निर्देशित करता/करती हूँ :—

नाम निर्देशिती का नाम और पता	कर्मचारी से संबंध	जन्म की तारीख	यदि नाम निर्देशित अवयस्क है तो ऐसे व्यक्ति का नाम और पता जो नाम निर्देशित की अवयस्कता के दौरान राशि प्राप्त कर सकेगा।
1	2	3	4

स्तम्भ (1) के पेंशनर के से अधीन के संबंध नाम निर्देशिती की मृत्यु होने की दशा में दूसरे नाम निर्देशिती का नाम और पता जन्म की तारीख यदि दूसरा नाम निर्देशिती अवयस्कता है ऐसे व्यक्ति का नाम और पता जो दूसरे नाम निर्देशिती की अवयस्कता के दौरान राशि प्राप्त कर सकेगा आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नाम निर्देशिती विधिमान्य हो जायेगा

5	6	7	8
---	---	---	---

स्थान : ..... हस्ताक्षर

तारीख : .....

साक्षी हस्ताक्षर :

नाम और पता : .....

नाम :

पता :

अभिस्वीकृति पेंशन संवितरण प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भेजी जाने वाली।

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (पेंशनर का नाम) जिसका पता ..... है से आवेदन/नाम निर्देशन प्राप्त किया।

स्थान :—

तारीख :—

कार्यालयाध्यक्ष  
हस्ताक्षर मय मोहर



# राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

कर्मचारी की विशिष्टियों के ब्यौरे प्रारूप—2

(ऐशनर्स के लिए)

1. नाम :— .....
2. कर्मचारी संख्या :— .....
3. पदनाम :— .....
4. (क) जन्म की तारीख :— .....
- (ख) सेवानिवृति की तारीख :— .....
5. तीन नमूने के हस्ताक्षर :—
  1. ....
  2. ....
  3. ....
6. ऊँचाई :— .....
7. वैयक्तिक पहचान चिन्ह :— .....
8. दायें/बायें हाथ के अंगूठे और अंगूठे,  
तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठाका अंगुलियों के निशान  
(हस्ताक्षर करने जितना साक्षर नहीं होन दिशा में) :— .....
9. स्थाई पता (मोबाइल नम्बर ई—मेल सहित) :—  
.....  
.....
10. वर्तमान पता (मोबाइल नम्बर ई—मेल सहित) :—  
.....
11. बैंक का नाम, शाखा एवं खाता संख्या (कैंसल बैंक संलग्न करें) :—  
.....
12. पिता/पति का नाम :— .....
13. श्री/श्रीमति पत्नी/पति श्रीमति/श्री ..... के साथ नवीनतम संयुक्त फोटो :—  
.....

हस्ताक्षर अनुप्रमाणित किया गया  
अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी  
का नाम और पदनाम (मुहर सहित)

.....

14. परिवार की सूची :—

क्र.स. कुटुम्ब के सदस्यों के नाम

जन्म की तारीख  
(साक्ष्य संलग्न करें)

आरएसएमएल  
कर्मचारी से संबंध  
(विवाहित / अविवाहित सहित)

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

दिनांक :—

हस्ताक्षर आवेदक

यह प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा उक्त प्राप्त सूचना का सत्यापन इनकी सेवा पुस्तिका से कर लिया गया है। समर्त जानकारी सही पायी गई है।

दिनांक :—

कार्यालयध्यक्ष  
हस्ताक्षर मय सील

स्थान :—

Om



# राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

पेंशन और उपादान निर्धारित करने के लिए

प्रारूप-3

भाग - I

(कार्यालयाध्यक्ष हेतु)

1. कर्मचारी का नाम :-	.....		
2. कर्मचारी संख्या :-	.....		
3. पदनाम :-	.....		
4. पिता का नाम :- (महिला कर्मचारी के मामले में पति का नाम)	.....		
3. जन्म तारीख (ईस्वी सन् में) :-	.....		
4. वर्तमान पता :-	.....		
5. निवास का स्थायी पता, ग्राम, नगर, जिला और राज्य दर्शाएँ :-	.....		
6. पदनाम :- (i) पेंशन का प्रकार/वर्ग :-	.....		
7. (i) सेवा के प्रारम्भ की तारीख (ii) सेवा के अन्त की तारीख	.....		
8. सरकार या अन्य के अधीन की गयी सेवा जो पेंशन के लिए गिनी जाती है:- सरकार/उपक्रम का नाम	वर्ष	मास	दिन
	.....	.....	.....
9. अर्हक सेवा की कुल अवधि :-	वर्ष	मास	दिन
	.....	.....	.....
10. अनर्हक सेवा की अवधि (मय दस्तावेज)	दिनांक		
	से	तक	

- (i) माफी दिया गया व्यवधान
  - (ii) पेंशन के लिए अर्हक नहीं  
अवकाश असाधारण .....
  - (iii) निलम्बन की अवधि जिसको  
पेंशन के लिए अर्हक नहीं  
समझा गया | .....
  - (iv) कोई भी अन्य सेवा जो पेंशन  
के लिए अर्हक नहीं मानी  
गयी .....

कुल अनर्हक सेवा

वर्ष मास दिन

11. (i) विदेश सेवा की अवधि, जहां  
पेंशन अभिदाय  
आरएसएमएल द्वारा संदत्त  
किये जाने हैं

संगठन का नाम दिनांक से दिनांक तक

- 12 पेंशन के लिए गिनी जाने वाली उपलब्धियाँ

(i) अधिष्ठायी वेतन (छुटी-रिक्ति या अतिरिक्त प्रभार पर नियुक्ति को छोड़कर गिने जाने वाला स्थानापन्न वेतन)

(ii) एन.पी.ए. / एन.सी. / आर.ए., योग :- .....

13 प्रस्तावित पेंशन (संगणना पन्ना संलग्न है) :- .....

14 प्रस्तावित सेवानिवृति उपदान (प्रस्तावित पन्ना संलग्न है) :- .....

15 सेवा पुस्तिका के अनुसार वह तारीख जिसमें पेंशन प्रारम्भ होनी है :- .....

三

16 अनंतिम पेंशन की प्रस्तावित रकम / यदि आरएसएमएल कर्मचारी के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के पूर्व विभागीय या न्यायिक सांरिथत की गयी है। (मय दस्तावेज) :-

17 उपदान में वसूलीय कम्पनी देंयो की रकम (मय दस्तावेज) :-

18 परिवारिक पेंशन

(i) कुटुम्ब पेंशन के लिए गिनी जाने वाली उपलब्धियाँ

(ii) यदि मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात् होती है तो आरएसएमएल कर्मचारियों के कुटुम्ब के लिए संदेय होने वाली कुटुम्ब पेंशन की रकम -

(क) 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व, या

(ख) 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्

(iii) कुटुम्ब का अद्यतन व्यौरा

क्र.सं.	कुटुम्ब के सदस्यों के नाम	जन्म की तारीख	आरएसएमएल कर्मचारी से (साक्ष्य संलग्न करें) संबंध (विवाहित / अविवाहित सहित)
1			
2			
3			
4			

1.

2.

3.

4.

3.

19. ऊँचाई :-

20. पहचान चिन्ह :-

21. बैंक का नाम, शाखा एवं खाता संख्या :- (कैंसल चैक संलग्न करें)

संलग्न :-

- उपदान में से वसूलीय आरएसएमएल देयों की रकम के व्यौरे।
- संगणना पन्ना।

3. सेवानिवृत्ति आदेश।
4. अंनतिम / अंतिम एक सेवा अवधि प्रमाण पत्र।
5. दीर्घावधि ऋण / अग्रिमों के बारे में अदेयता प्रमाण पत्र।
6. प्रपत्र के साथ साक्ष्य के रूप में नियुक्ति पत्र की प्रति, जन्म तिथि के साक्ष्य, अंतिम वेतन हेतु सेवा पुस्तिका के संबंधित पृष्ठ की प्रति, कैंसल चैंक संलग्न।
7. संस्थान द्वारा जारी किया गया अदेय प्रमाण—पत्र।

**भाग – II**

**अनुभाग – I**

**लेखा मुख्यांकनः**

1. अर्हक सेवा की कुल अवधि जो अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकारात्मक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और उपदान की मंजूरी के लिए स्वीकार की गयी है, अस्वीकार करने, यदि कोई हो, के कारणों सहित (इस प्रारूप के उपर्युक्त अस्वीकार से भिन्न)
2. अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकारात्मक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या उपदान की रकम जो प्रतिगृहित की गयी है
3. वह तारीख जिसमें अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकारात्मक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या उपदान अनुज्ञय है।
4. लेखा शीर्ष जिसमें अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकारात्मक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या उपदान प्रभार्य है।
5. आरएसएमएल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु होने की दशा में कुटुम्ब हकदार सदस्यों के संदेय होने वाली कुटुम्ब पेंशन की रकम

**अनुभाग II**

1. कर्मचारी का नाम .....  
.....
2. कर्मचारी संख्या :— .....  
.....
3. पदनाम :— .....  
.....



	पेंशन या उपदान का वर्ग :-	.....
5.	प्राधिकृत पेंशन की रकम :-	.....
6.	प्राधिकृत उपदान की रकम :-	.....
7.	सेवा पुस्तिका पेंशन प्रारम्भ होने की तारीख :-	.....
8.	सेवानिवृति के पश्चात् मृत्यु होने की दशा में कुटुम्ब पेंशन की रकम	.....
	(i) 67 वर्ष की आयु के पूर्व होती है, या	.....
	(ii) 67 वर्ष की आयु के पश्चात् होती है।	.....
9.	उपदान में से संदाय प्राधिकृत करने से पूर्व वसूलीय राशि	..... ..
10.	अनिर्धारित आरएसएमएल देयों के समायोजन के लिए रोकी गयी रोकड़ जमा की रकम या उपदान की रकम	.....

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
(नाम मोहर सहित)

### गणना प्रपत्र

पेंशन - परिलक्षियों X अर्हक सेवा की कुल छः माही =  

$$2 \times (66 / 56 / 50)$$

उपदान - परिलक्षियाँ X अर्हक सेवा की छः माही (अधिकतम 66 छः माही) =



## राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रपत्र – 4

मृत आरएसएमएल कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य या  
सदस्यों को मृत्यु उपदान की मंजूरी के लिए जहाँ  
(वैध नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है)

दिनांक :— .....

प्रेषिती,

कार्यकारी निदेशक (प्रशा.)  
राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड,  
4, मीरा मार्ग, उदयपुर।

विषय :— स्वर्गीय श्री/ श्रीमति ..... कर्मचारी संख्या ..... के  
संबंध में मृत्यु उपदान का संदाय।

महोदय/ महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निबन्धनानुसार स्वर्गीय श्री/ श्रीमति.....  
कर्मचारी संख्या ..... पदनाम ..... के कुटुम्ब के निम्नलिखित सदस्यों को  
मृत्यु उपदान बराबर हिस्सों में संदेय है :—

- |  |   |
|--|---|
| (i) पत्नी/ पति, जिसमें न्यायिक रूप से पृथक पत्नी/ पति सम्मिलित है।<br>(ii) पुत्र<br>(iii) अविवाहित पुत्रियाँ | ]<br>जिनमें सौतेली संतानें और<br>दत्तक संतानें सम्मिलित हैं |
|--|---|
2. ऊपर उपदर्शित रूप में कुटुम्ब के कोई जीवित सदस्य नहीं होने की दशा में उपदान कुटुम्ब के  
निम्नलिखित सदस्यों को बराबर हिस्सों में संदेय होगा।
- (i) विधवा पुत्रियाँ, जिनमें सौतेली पुत्रियाँ और दत्तक पुत्रियाँ सम्मिलित हैं ;
  - (ii) पिता जिनमें उन वैयक्तिकों के मामले में जिनकी वैद्यकिक विधियाँ
  - (iii) माता दत्तक अनुज्ञात करती है, दत्तकगृहिता माता—पिता सम्मिलित है ;
  - (iv) अठारह वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित और विधवा बहिनें जिनमें सौतेले भाई और  
सौतेली बहनें सम्मिलित हैं ;
  - (v) विवाहित पुत्रियाँ ; और
  - (vi) पूर्व—मृत पुत्र की संतानें।
3. यह अनुरोध है किया जाता है कि उपदान के संदाय का दावा शीघ्र पेश किया जायें।

भवदीय

कार्यालयध्यक्ष  
नाम मोहर सहित



# राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रपत्र — 5

कर्मचारी / पेंशनर की मृत्यु होने पर पारिवारिक  
पेंशन हेतु आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता का  
फोटो

1. आवेदक का नाम :— .....

(i) विधवा / विधुर :— .....

(ii) संरक्षक यदि संतान अवयस्क हो :— .....

2. मृत कर्मचारी / पेंशनर की उत्तरजीवी विधवा / विधुर और संतानों के नाम और आयु (मय दस्तावेज) :—

क्र.सं.	नाम	जन्म की तारीख	संबंध
1	2	3	4

1.

2.

3.

4.

3. मूल पेंशनर का नाम, कर्मचारी संख्या, पदनाम एवं पीपीओ संख्या :—  
.....

4. कर्मचारी / पेंशनर की मृत्यु की तारीख (मय दस्तावेज) :— .....

5. यदि आवेदक संरक्षक है तो उसकी जन्म की तारीख और मृत कर्मचारी से संबंध :—  
.....

6. आवेदक का पूरा पता (मोबाइल नम्बर व ई—मेल सहित) :—  
.....

7. संलग्नक :—

(i) विशिष्टयों के ब्यौरे।

2

(ii) संतानों की जन्म तारीख दर्शाने वाला आयु-प्रमाण (मूल, दो, अनुप्रमाणित प्रतियों सहित)। प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों से या स्थानीय पंचायत से या यदि संतान ऐसे विद्यालय में अध्ययन कर रहा है तो मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान से लिया जाना चाहिए। (यह सूचना ऐसी संताने या संतानों के बारे में दी जानी चाहिए जिनकी जन्म की तारीख की विशिष्टियाँ कार्यालयध्यक्ष के पास उपलब्ध न हो।

(iii) मृत्यु प्रमाण—पत्र।

(iv) अवयस्क के मामले में संरक्षक का प्रमाण पत्र।

8. बैंक का नाम, शाखा एवं खाता संख्या (कैसल चैक संलग्न करें) :— .....

9. यह प्रदर्शित कीजिए कि क्या कुटुम्ब पेंशन किसी अन्य स्त्रोत जैसे सेना या केन्द्र या किसी अन्य राज्य सरकार और/या केन्द्र या किसी राज्य सरकार के अधीन के पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वाषारी निकाय/स्थानीय निधि से अनुज्ञेय है .....

10. अनुप्रमाणित द्वारा :—

नाम	पुरा पता	हस्ताक्षर
-----	----------	-----------

(i) .....

(ii) .....

11. साक्षी :—

नाम	पुरा पता	हस्ताक्षर
-----	----------	-----------

(i) .....

(ii) .....

टिप्पण :— अनुप्रमाणन दो कर्मचारियों या उस नगर, गाँव या परगना के दो गणमान्य व्यक्तियों द्वारा, जिसमें आवेदक निवास करता है, किया जाना चाहिए।



# राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रपत्र - 6

(पारिवारिक पेंशन के आवेदन के साथ)

कुटुम्ब पेंशन के लिए विशिष्टियों के ब्यौरे का प्रारूप

1. आवेदक का नाम :— .....

2. मृत कर्मचारी का नाम एवं कर्मचारी संख्या /पेंशनर का नाम :— .....

3. संबंध :— विधवा/विधुर/पुत्र/पुत्री/अवयस्क का संरक्षक :— .....

4. जन्म की तारीख :— .....

5. ऊँचाई :— .....

6. हस्ताक्षर :—

1. .....

2. .....

3. .....

हस्ताक्षर करने जितना साक्षर न

होने की दशा में बायें हाथ के अंगूठे

और अंगुली की निशानी


अंगूठा, कनिष्ठिका, मध्यमा, अनामिका, तर्जनी

7. बैंक का नाम, शाखा एवं खाता संख्या (कैंसल चैक संलग्न करें) :— .....

8. वैयक्तिक पहचान चिन्ह :— .....

9. वर्तमान पता :— .....

10. अनुप्रमाणित फोटो :—



फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :—

स्थान :—

अनुप्रमाणित, द्वारा  
प्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर  
और पदनाम, मुहर सहित



# राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रपत्र - 7

(पारिवारिक पेंशन हेतु)

किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु  
उपदान की मंजूरी के लिए आवेदन का प्रारूप

(प्रत्येक दावेदार द्वारा पृथक-पृथक भरा जाये और दावेदार के अवयस्क होने की दशा में उसकी ओर से प्रारूप संरक्षक द्वारा भरा जाना चाहिए। जहाँ एकाधिक अवयस्क हों वहाँ संरक्षक को उनकी ओर से एक प्रारूप में उपदान का दावा करना चाहिए।)

आवेदनकर्ता का  
फोटो

1. (i) दावेदार का नाम, यदि वह अवयस्क न हो :— .....
- (ii) दावेदार के जन्म की तारीख (मय दस्तावेज) :— .....
2. (i) संरक्षक का नाम, यदि दोवदार अवयस्क हो :— .....
- (ii) संरक्षक के जन्म की तारीख :— .....
3. (i) मृत आरएसएमएल कर्मचारी का नाम, जिसके संबंध में उपदान का दावा किया गया है :— .....
- (ii) कर्मचारी की मृत्यु की तारीख (मय दस्तावेज) :— .....
4. कर्मचारी से दावेदार/संरक्षक का संबंध .....
5. दावेदार/संरक्षक का डाक का पुरा पता (मोबाइल नम्बर व ई-मेल सहित) :— .....
- .....
- .....
6. (i) जहाँ अवयस्कों की ओर से संरक्षक द्वारा उपदान का दावा किया गया है, वहाँ अवयस्कों के नाम, उनकी आयु, मृत कर्मचारी से संबंध, आदि—

क्र.स.	नाम	जन्म की तारीख	मृत सरकारी कर्मचारी से संबंध	डाक का पता
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

(ii) संरक्षक का अवयस्क से संबंध .....

दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे की निशानी

7. दावेदार/संरक्षक के सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित दो नमूने  
के हस्ताक्षर या बांये हाथ के अंगूठे और अंगुली की निशानी .....  
(पृथक पन्ने में प्रस्तुत किये जायें।)
8. बैंक का नाम, शाखा एवं खाता संख्या (कैसल चैक संलग्न करें) :- .....
9. 2 अनुप्रमाणित द्वारा :-

नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(i) .....	.....	.....
(ii) .....	.....	.....

10. साक्षी :-

नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(i) .....	.....	.....
(ii) .....	.....	.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा उक्त प्राप्त सूचना का सत्यापन इनकी सेवा  
पुरितका से कर लिया गया है। समस्त जानकारी सही पायी गई है।

दिनांक :-  
स्थान :-

कार्यालयध्यक्ष  
हस्ताक्षर मय सील





# राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रारूप —8

(कार्यालयाध्यक्ष हेतु)

जब किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाये तब कुटुम्ब पेंशन  
और मृत्यु उपदान का संदाय निर्धारित करने और प्राधिकृत करने के लिए प्ररूप  
(यदि लेखा—इकाइयों के किसी भिन्न परिक्षेत्र में संदाय  
वांछित है तो दो प्रतियों में भेजा जाना है।)

भाग ।

अनुभाग ।

1. मृत कर्मचारी का नाम :— .....
2. कर्मचारी संख्या :— .....
3. पदनाम :— .....
4. पिता का नाम :— .....
5. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) :— .....
6. मृत्यु की तारीख (ईस्वी सन् में) :— .....
7. धर्म :— .....
8. कार्यालय / विभाग का नाम, जिसमें अंत में नियोजित था :— .....
9. अंत में धारित नियुक्ति :—
  - (i) अधिष्ठायी :— .....
  - (ii) स्थापन :— .....
10. (i) सेवा के प्रारम्भ की तारीख .....
- (ii) सेवा के अन्त की तारीख .....
11. सेवा जो पेंशन के लिए गिनी जाती है :— वर्ष मास दिन .....
12. वह तारीख, जिसको कर्मचारी की मृत्यु के बारे में सूचना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त की गयी थी .....



13.	कौन मृत्यु उपदान के लिए नाम—निर्देशन किया गया है, यदि हाँ तो प्रति सहबद्ध करें	.....
14.	मृत्यु उपदान/पेंशन के लिए अर्हक सेवा की अवधि	.....
15.	अनर्हक सेवा की अवधि	दिनांक
	(i) माफी दिया गया व्यवधान	से
	(ii) उपदान के लिए अनर्हक असाधारण छुट्टी	तक
	(iii) अनर्हक सेवा के रूप में गिनी गयी निलम्बन अवधि	.....
	(iv) कोई अन्य सेवा जो अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिनी गयी	.....
	अनर्हक सेवा की कुल अवधि	.....
16.	(i) विदेश सेवा की अवधि, जहां पेंशन अभिदाय सरकार द्वारा संदत्त किये जाने हैं	दिनांक से दिनांक
	संगठन का नाम का	कर्मचारी का वेतनमान
		से
		तक
	(ii) वसूल किये गये पेंशन अभिदाय के ब्यौरे :—	.....
17.	मृत्यु उपदान के लिए गिनी जाने वाली उपलब्धियाँ	
	(i) अधिष्ठायी वेतन (छुटी—रिक्त या अतिरिक्त प्रभार पर नियुक्ति को छोड़कर गिने जाने वाला स्थानापन्न वेतन) :—	.....
	(ii) एन.पी.ए. :—	.....
18.	मृत्यु उपदान की रकम (संगणना पन्ना) :—	.....
19.	(i) प्रस्तावित कुटुम्ब पेंशन :— (क) वर्धित दरें	

• (यदि की गयी सेवा मृत्यु के समय सात वर्ष से अधिक है) :- .....

(ख) सामान्य दरें :- .....

(ii) कुटुम्ब पेंशन की सम्भावित अवधि

(क) वर्धित दरें :- .....

(ख) सामान्य दरें :- .....

20. व्यक्ति, जिनको कुटुम्ब पेंशन संदेय है :-

नाम :- .....

मृत कर्मचारी से संबंध :- .....

21. उपदान में से वसूलीय आरएसएमएल देयों की रकम :- .....

22. वह तारिख, जिसको दावेदारों से दावा प्राप्त किया गया :- .....

23. संरक्षक का नाम, जो अवयस्क की दशा में मृत्यु  
उपदान और कुटुम्ब पेंशन का संदाय प्राप्त करेगा। :- .....

24. बैंक का नाम, शाखा एवं खाता संख्या (कैसल चैक संलग्न करें) :- .....

स्थान :-

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

तारीख :-

## अनुभाग II

कार्यालयाध्यक्ष आहरित और संवितरित की जाने वाली  
अनंतिम कुटुम्ब पेंशन और उपदान के ब्यौरे

अनंतिम कुटुम्ब पेंशन रु. ..... प्रतिमास

उपदान रु. ....

घटाइये :

वसूली योग्य राशि :- रु. ....

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

स्थान :-

तारीख :-

Om

भाग ॥  
अनुभाग ।

1. अर्ह सेवा की कुल अवधि, जो निम्नलिखित के लिए स्वीकार की गयी है :—

(i) मृत्यु उपदान :— .....

(ii) कुटुम्ब पेंशन :— .....

(iii) उपदान की रकम :— .....

2. वसूली समायोजन के पश्चात् उपदान की शुद्ध रकम

3. यदि मृत्यु होती है तो कुटुम्ब पेंशन की मान्यता की रकम और अवधि :—

रकम	मान्यता की अवधि
-----	-----------------

रु.	से	तक
-----	----	----

(i) सात वर्ष की सेवा से पूर्व :— ..... ..... .....

(ii) सात वर्ष की सेवा के पश्चात् :— ..... ..... .....

4. वह तारीख जिसमें कुटुम्ब पेंशन अनुज्ञेय है :— .....

अनुभाग ॥

1. मृत कर्मचारी का नाम :— .....

2. कर्मचारी की मृत्यु की तारीख :— .....

3. कुटुम्ब पेंशन की प्राधिकृत रकम :— .....

4. उपदान की प्राधिकृत रकम :— .....

5. कुटुम्ब पेंशन के प्रारम्भ होने की तारीख :— .....

6. वह तारीख जिसको कुटुम्ब पेंशन और उपदान का संदाय प्राधिकृत किया गया :— .....

7. उपदान से वसूलीय रकम :— .....

8. "बेबाकी प्रमाणपत्र" की प्राप्ति के लम्बित रहते रोकी गयी उपदान की रकम :—

स्थान :— .....

दिनांक :— .....

कार्यालयध्यक्ष  
हस्ताक्षर मय मोहर



# राजस्थान स्टेट मार्क्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रपत्र —9

(कार्यालयाध्यक्ष हेतु)

कुटुम्ब पेंशन मंजूर के लिए मृत कर्मचारी के  
विधुर/विधवा को पत्र का प्रारूप

सं. :-

दिनांक :- .....

प्रेषिती,

राजस्थान स्टेट मार्क्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड,  
4, मीरा मार्ग, उदयपुर।

विषय :— स्वर्गीय श्री/श्रीमति ..... के संबंध में कुटुम्ब पेंशन का संदाय।

महोदय/महोदया,

1. मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री/श्रीमति.....  
पदानाम ..... कार्यालय/विभाग ..... की  
विधवा/विधुर के रूप में आपको कुटुम्ब पेंशन संदेय है।
2. आपको सलाह दी जाती है कि कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी के लिए दावा संलग्न प्रारूप में  
प्रस्तुत करें।
3. कुटुम्ब पेंशन आपकी मृत्यु या पुनर्विवाह, जो पहले हो, तक संदेय होगी। आपकी मृत्यु या  
पुनर्विवाह होने की दशा में कुटुम्ब पेंशन संतान या संतानों को, यदि कोई हों, संरक्षक के  
माध्यम से मंजूर की जायेगी।

भवदीय,

कार्यालयाध्यक्ष  
हस्ताक्षर मय मोहर



## राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रपत्र -10

(कार्यालयाध्यक्ष हेतु)

पेंशन के लिए सेवा अवधि एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र

प्रमणित किया जाता है कि वर्तमान में .....

पदनाम ..... के रूप में कार्यरत श्री/कुमारी/श्रीमति द्वारा .....  
से ..... तक ..... की गयी सेवा पेंशन की संगणना करने के  
प्रयोजनार्थ निरन्तर और अर्हक होना स्वीकार की गयी है। मेरा समाधान हो गया है कि  
सेवा की उक्त अवधि में निम्नलिखित के सिवाय कोई व्यवधान नहीं हुआ है तथा इनका  
अंतिम वेतन रु. ..... है।

दिनांक ..... से ..... तक।

दिनांक :-

कार्यालयाध्यक्ष  
हस्ताक्षर मय मुहर



# राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रारूप—11

(कार्यालयाध्यक्ष हेतु)

विभागीय जाँच/न्यायिक प्रकरण प्रस्तावित/लम्बित नहीं होने का  
प्रमाण पत्र

क्रमांक :—

दिनांक :—

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति .....  
..... पद ..... दिनांक ..... को  
सेवानिवृत हो रहे हैं। इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/न्यायिक प्रकरण विचाराधीन/  
लम्बित नहीं है।

हस्ताक्षर अधिकारी  
(नाम और पद एवं मोहर सहित)



# राजस्थान स्टेट माईंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

प्रारूप—12

(कार्यालयाध्यक्ष हेतु)

अदेयता प्रमाण पत्र

क्रमांक :—

दिनांक :—

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति .....  
..... पद ..... दिनांक ..... को  
सेवानिवृत हो रहे हैं। इनसे किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है।

हस्ताक्षर अधिकारी  
(नाम और पद एवं मोहर सहित)



# राजस्थान स्टेट मार्ईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(पेंशनर्स हेतु माह नवम्बर में वर्ष में एक बार)

प्रारूप—13  
जीवित प्रमाण पत्र

मैं ..... पिता/पत्नी/पति  
श्री ..... आरएसएमएल को नियमानुसार स्वयं  
का जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ।

दिनांक :—

स्थान :— हस्ताक्षर आवेदक

मैं ..... पद .....  
यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमति .....  
पीपीओ संख्या ..... जीवित है।

दिनांक :—

कार्यालयध्यक्ष/प्रमाणीतकर्ता

स्थान :—

अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम और पद एवं मोहर सहित)



# राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

## PENSION PAYMENT ORDER

Current Joint Photo Scan

### Details of Pensioner and Pension

PPO No.

Date:

1	Name			
2	E.No. & Designation			
3	Post (Cader/Category)			
4	Office/Unit			
5	Date of Birth			
6	Date of Joining			
7	Date of Retirement			
8	Qualifying Service	Years _____	Months _____	Days _____
9	Emoluments reckonable for pension	Rs. Pay Level		
10	Class of Pension (Superannuation/Voluntary/Compulsory /Disability)			
11	Pension	Rs. (Rs. in words)		
12	Dearness Relief on original pension	As per Rules		
13	Date of Commencement			
14	Address			
15	Remarks (if any)			

### Details of Family Pensioner and Pension

1	Date of Death of the Pensioner			
2	Name of Family Pensioner and Relation			
3	Amount of Family Pension Payable	@ Rs. (per month) up to  or seven (07) years after death of Pensioner whichever is earlier and thereafter Rs. (per month) with DR till death / remarriage whichever is earlier.		

To,

1. Pension file
2. Personal file

Financial Advisor  
(Seal and Signature with Name)